न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– जीतेन्द्र सिंह नरुका

सिविल प्रकरण संख्या:– 41 / 2023 तारीख रजू :– 26.07.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. श्री धोल्याराम मीना पुत्र श्री हरलाल मीना (विक्रेता प्लांट ऑपरेटर) मैसर्स सवाई माधोपुर एण्ड करौली दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड सवाई माधोपुर रणथम्भौर रोड, सवाई माधोपुर।
2. श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा (मैनेजर) मैसर्स:– सवाई माधोपुर एण्ड करौली दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड सवाई माधोपुर रणथम्भौर रोड, सवाई माधोपुर। निवासी बनिया पाडा, मलारना डूंगर सवाई माधोपुर।
3. मैसर्स – सवाई माधोपुर एण्ड करौली दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड सवाई माधोपुर ।

.....अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

दिनांक 6/10/2023

निर्णयः–

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (आवेदक) ने अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत दिनांक 21.12.2022 को दोपहर 01.30 पी.एम पर मैसर्स सवाई माधोपुर एण्ड करौली दुग्धः उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड सवाई माधोपुर पर पहुंचा एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु पाश्च्युराईज्ड टोन्ड मिल्क (सरस) 500–500 एमएल पैकिंग में प्लास्टिक की कैरेटो में रखा था। उक्त पाश्च्युराईज्ड टोण्ड मिल्क (सरस) में गुणवत्ता / मिलावट का अन्देशा होने पर वास्ते नमुना 4 पॉलीपैक पाश्च्युराईज्ड टोण्ड मिल्क (सरस) के 500–500 एमएल 4 पैकेट खरीदकर उनकी कीमत 96/– रुपये विक्रेता श्री धोल्याराम मीना को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान श्री श्याम प्रताप सिंह व श्री वेद प्रकाश के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा पॉलीपैक पाश्च्युराईज्ड टोण्ड मिल्क (सरस) 500–500 एमएल पॉलीपेक को अच्छी तरह हिलाकर एक कोने को कैंची से काटकर उसमें भरे दूध को प्लास्टिक के चौडे मूंह की बोतल में डालकर पैक को पूर्णतया खाली कर प्रत्येक बोतल में फॉरमलिन की 40–40 बूंदे डालकर ढक्कन लगाकर एयरटाइट बंद कर खाली पॉलीपेक रैपर को प्रत्येक बोतल पर लगाकर, लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एच–2541 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एच–2541 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म 5ए की प्रतियाँ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री धोल्याराम मीना ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति श्री धोल्याराम मीना को देकर रसीद प्राप्त की।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की सात प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फॉर्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की गई। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म से 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की गई।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/43 दिनांक 16.01.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस /3632 / एक्ट / 2022 / 3670 दिनांक 27.12.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पाश्च्युराईज्ड टोण्ड मिल्क (सरस) सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

यह कि खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 2.4.6 (1) के तहत नमूनों की जाँच से असन्तुष्ट होते हुए नियामानुसार नियत अवधि में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के समक्ष निर्धारित प्रपत्र 8 में नमूनों की पुनः जाँच हेतु आवेदन कर अपील की जिस अपील को स्वीकार करते हुए अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) द्वारा लिये गये नमूनों के द्वितीय भाग को वास्ते जाँच हेतु रेफरल लेब में भिजवाया गया एवं प्राप्त हुई रेफरल लेब पुणे की जाँच रिपोर्ट संख्या RFL/P/DO/128/23/172/2023 दिनांक 24.03.2023 खाद्य पदार्थ पाश्च्युराईज्ड टोण्ड मिल्क (सरस) सबस्टेण्डर्ड होना घोषित किया गया एवं रिपोर्ट की मूल प्रति मय अग्रषेण पत्र क्रमांक 725 दिनांक 08.05.2023 द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता को भिजवाते हुए एक–एक प्रति आवेदक को दी गई तथा अपील प्रारूप–8 एवं फार्म नं. 6ए प्रतियाँ आवेदक को दी गई ।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री गिर्राज प्रसाद मीना जो कि फॉर्म– सी में नौमीनी दर्शाये गये है के बारे में श्री राजकुमार शर्मा से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि वे दिनांक 31.01.2021 को सेवानिवृत हो चूके थे और इस संघ का कार्यभार स्वयं श्री राजकुमार शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा के पास ही था। अतः दस्तावेजी में त्रुटि होने के कारण वास्तु स्थिति जानकर श्री राजकुमार शर्मा को घटना के समय जिम्मेदार मानते हुए नाम शामिल पत्रावली कर समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने अपनेपत्र क्रमांक एफएसएसए/ 2023/865 दिनांक 17–07–2023 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

यह कि उक्त प्रकरण में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ताओं ने सबस्टेण्डर्ड पाश्च्युराईज्ड टोण्ड मिल्क (सरस) का विक्रय / निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण की ओर श्री राजकुमार शर्मा सहायक प्रबन्धक दुग्ध संघ रणथम्भौर रोड सवाई माधोपुर उपस्थित हुए।

अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ताओं ने अवमानक स्तर (Sub Standard Food) प्रकृति की **खाद्य वस्तु** पाश्च्युराईज्ड टोण्ड मिल्क (सरस) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि क्रमशः धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अभियुक्तगण की ओर से श्री राजकुमार शर्मा सहायक प्रबन्धक दुग्ध संघ रणथम्भौर रोड सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है दूध पैकिंग से पूर्व लाइनों में पानी चलाया जाता है फिर दूध शुरू किया जाता है तथा इसी कारण दूध में कम फैट आया है। पुनःश्च अप्रार्थी श्री राजकुमार शर्मा द्वारा प्रकरण में न्यूनतम शास्ति अधिरोपित कर प्रकरण को ड्रोप करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक रेफरल लेब पुणे की जाँच रिपोर्ट संख्या RFL/P/DO/128/23/172/2023 दिनांक 24.03.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पाश्च्युराईज्ड टोण्ड मिल्क (सरस) सबस्टेण्डर्ड(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) पाया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ पाश्च्युराईज्ड टोण्ड मिल्क (सरस) का विक्रय/निर्माण करने पर अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 पर संयुक्त रूप से खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत 20,000/-रू0 (अक्षरे बीस हजार रु0 मात्र) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 6/10/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जीतेन्द्र सिंह नरुका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर